मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 मार्च 2010—चैत्र 4, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. 7003-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 25 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१० है. **संक्षिप्त नाम.**

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.**

(१) धारा ५ में ,—

(एक) खण्ड (१०) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(१०-क) ''कालोनाइजर'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३

(क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसाइटी या रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत संस्था जिसमें सम्मिलित है कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जो कृषि भूमि सहित किसी अन्य भूमि को भूखण्डों या समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) में विभाजित करने के प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है और ऐसे भूखण्डों पर आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवासीय संनिर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है और जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(१०-ख) "कालोनी" से अभिप्रेत है, विद्यमान भूखण्ड में से इस प्रकार विभाजित किया गया क्षेत्र जिसमें निवासियों के लिए मूलभूत सेवाओं जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, मल-वहन निकासी आदि के उपबंध हों तथा जिसमें सम्मिलित है सामूहिक आवास तथा संयुक्त आवास के अधीन संनिर्माण;".

(दो) खण्ड (२२) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(२२-क) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग;";

(तीन) खण्ड (३३) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(३३-क) "निम्न आय वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग;";

(चार) खण्ड (५७) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(५७-क) "उपभोक्ता प्रभार" से अभिप्रेत है धारा १३२-क के अधीन अधिरोपित प्रभार;".

(२) धारा १३२ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (४) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (६) में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(चार) उपधारा (१०) में, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "उपधारा (१) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) और उपधारा (६) के खण्ड (ख)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "उपधारा (१) के खण्ड (ग) और (घ)" स्थापित किए जाएं.

(३) धारा १३२ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्,—

उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.

"१३२-क. (१) धारा १३२ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम, किसी साधारण अथवा विशेष आदेश के, जो कि राज्य सरकार इस निमित्त करे, अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) उन भूमियों तथा भवनों के संबंध में जल प्रभार, जिन्हें जल प्रदाय निगम द्वारा किया जाता है;

(ख) जल निकास अथवा मलवहन प्रभार, जहां कि जल निकास अथवा मलवहन निपटान की प्रणाली आरम्भ की गई है;

(ग) ठोस अपशिष्ट के प्रबंध हेतु प्रभार, जहां कि निगम ने अपशिष्ट के निपटान की कोई प्रणाली आरम्भ की हो;

(घ) निगम द्वारा प्रदान की गई किन्हीं अन्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रभार;

(२) उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में—

(एक) उन भवनों और भूमियों पर जो कि संपत्ति कर से छूट प्राप्त हैं, ऐसी दर से जो कि निगम द्वारा अवधारित की जाए;

(दो) उन भवनों और भूमियों पर जो कि संपत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं हैं, उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में यथा अवधारित उपभोक्ता प्रभार और उतना प्रतिशत संपत्ति कर जो कि निगम द्वारा अवधारित किया जाए,

अधिरोपित किया जाएगा:

परन्तु उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन जल उपभोक्ता प्रभार, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के स्वामित्व के भवन तथा भूमि पर, उनके जीवन काल के दौरान, उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि उन्हें आयकर से छूट प्राप्त है और जल संयोजन घरेलू प्रयोजन के लिए है तथा जो आधा इंच संयोजन से अधिक नहीं है.

(३) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम धारा १३६ के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट संपत्तियों पर उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट समस्त या कोई प्रभार ऐसी दर से अधिक दर पर जिस दर पर कि संबंधित खण्डों के अधीन अन्य संपत्तियों पर ऐसा प्रभार अधिरोपित है, अधिरोपित कर सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.''.

(४) धारा २९२-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द ''कालोनी'' के स्थान पर, शब्द ''कालोनी या कालोनियां'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(४) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, नगरपालिक निगम क्षेत्र में एक या एक से अधिक कालोनियां स्थापित करने का पात्र होगा और उसे पृथक् से प्रत्येक कालोनी के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं होगा किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक कालोनी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अभिन्यास (ले-आउट) योजना का अनुमोदन तथा अन्य समस्त अनुमोदन पृथकत: अभिप्राप्त करे.''.

(५) धारा २९२-ख में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (तीन) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१-क) उपधारा (१) के अधीन विकसित भू-खण्डों या आवासीय मकानों को आरक्षित करने के अतिरिक्त, कालोनाइजर अपनी आवासीय कालोनी में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए कम से कम दस प्रतिशत विहित आकार के पूर्ण विकसित भू-खण्ड भी आरक्षित रखेगा या संनिर्मित आवासीय मकान देने का वैकल्पिक प्रस्ताव करेगा.'';

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'' के पश्चात्, शब्द ''और निम्न आय वर्ग'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(६) धारा २९२-ग में,—

(एक) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) जो कोई अवैध व्यपवर्तन का या अवैध कालोनी निर्माण का कोई अपराध करेगा या उसके

किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा और ऐसे किसी अपराध के संबंध में निर्णय पारित करने में न्यायालय, अभियुक्त को, निगम को प्रतिकर की ऐसी राशि का, भुगतान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह ऐसी अवैध कालोनी के विकास के लिए उपगत होने वाली अपेक्षित राशि पर विचार कर लेने के पश्चात् निर्णय में विनिर्दिष्ट करे, और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा.'';

(दो) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(५) जो कोई अवैध संनिर्माण का अपराध करेगा वह कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा.

(६) प्रत्येक कालोनाइजर को संनिर्माण हेतु प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के क्षेत्र के बारे में जिसमें कुर्सी क्षेत्र (कारपेट एरिया) सम्मिलित है तथा पर्चों, विवरणिकाओं, होर्डिंगों के रूप में प्रकाशित अपने समस्त विज्ञापनों में कालोनी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा ग्राहकों को दी जाने वाली समस्त संसूचनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक होगा तथा इसके ऊपर वह उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के क्रमांक तथा दिनांक का सुव्यक्त रूप से उल्लेख करेगा तथा इन उपबंधों का कोई अतिक्रमण ऐसे कालोनाइजरों को उपधारा (३) तथा उपधारा (५) के अधीन दण्ड का भागी बनाएगा.''.

(७) धारा २९२-घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अवैध कालोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में सहयुक्त व्यक्तियों के उत्तरदायित्व.

''२९२-घ क. समस्त निदेशक, संप्रवर्तक तथा वित्त पोषक (फाइनेंसर), जो अवैध कालोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में ऐसे व्यक्ति के साथ सहयुक्त हैं जो ऐसे अवैध कालोनी निर्माण या अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, ऐसे अपराध को कारित करने के लिए समान रूप से दायित्वाधीन होंगे तथा धारा २९२-ग के उपबंधों के अधीन दण्डित किए जाएंगे.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा ३ में,—

(एक) खण्ड (५-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(५-ख) ''कालोनाइजर'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसाइटी या रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या अन्य कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था जिसमें सम्मिलित है कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जो कृषि भूमि सहित किसी अन्य भूमि को भूखण्डों या समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) में विभाजित करने के प्रयोजन से उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है और ऐसे भूखण्डों को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवासीय का निर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है और जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(५-ग) ''कालोनी'' से अभिप्रेत है, विद्यमान भूखण्ड में से इस प्रकार विभाजित किया गया क्षेत्र जिसमें निवासियों के लिए मूलभूत सेवाओं जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, मल-वहन निकासी आदि के उपबंध हों जिसमें सम्मिलित हैं सामूहिक आवास तथा संयुक्त आवास के अधीन संनिर्माण;''.

(दो) खण्ड (१०-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(१०-ख) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग;'';

(तीन) खण्ड (१६) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(१६-क) ''निम्न आय वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग;'';

(चार) खण्ड (३७) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(३७-क) ''उपभोक्ता प्रभार'' से अभिप्रेत है धारा १२७-ख के अधीन अधिरोपित प्रभार;''.

(२) धारा १२७ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (४) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (६) में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(चार) उपधारा (१०) में, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक ''उपधारा (१) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) और उपधारा (६) के खण्ड (ख)'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक ''उपधारा (१) के खण्ड (ग) और (घ)'' स्थापित किए जाएं.

(३) धारा १२७-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्,—

उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.

''१२७-ख. (१) धारा १२७ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् किये गये किसी साधारण अथवा विशेष आदेश के, जो राज्य सरकार इस निमित्त करे, अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित करेगी, अर्थात्:—

(क) उन भूमियों तथा भवनों के संबंध में जल प्रभार, जिनमें जल प्रदाय परिषद् द्वारा किया जाता है;

(ख) जल निकास अथवा मलवहन प्रभार, जहां कि जल निकास अथवा मलवहन निपटान की प्रणाली आरम्भ की गई है;

(ग) ठोस अपशिष्ट के प्रबंध हेतु प्रभार, जहां कि परिषद् ने अपशिष्ट के निपटान की कोई प्रणाली आरम्भ की है;

(घ) परिषद् द्वारा प्रदान की गई किन्हीं अन्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रभार;

(२) उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में—

(एक) उन भवनों और भूमियों पर जो कि संपत्ति कर से छूट प्राप्त हैं, ऐसी दर से जो कि परिषद् द्वारा अवधारित की जाए;

(दो) उन भवनों और भूमियों पर जो कि संपत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं हैं, उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में यथा अवधारित उपभोक्ता प्रभार और उतना प्रतिशत संपत्ति कर जो कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए,

अधिरोपित किया जाएगा:

प्ररन्तु उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन जल उपभोक्ता प्रभार, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के स्वामित्व के भवन तथा भूमि पर, उनके जीवन काल के दौरान, उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि उन्हें आयकर से छूट प्राप्त है और जल संयोजन घरेलू प्रयोजन के लिए है तथा जो आधा इंच संयोजन से अधिक नहीं है.

(३) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् धारा १२७-क की उपधारा (२)में विनिर्दिष्ट संपत्तियों पर, या उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट समस्त या कोई प्रभार ऐसी दर से अधिक दर पर जिस दर पर कि संबंधित खण्डों के अधीन अन्य संपत्तियों पर ऐसा प्रभार अधिरोपित है, अधिरोपित कर सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.''.

(४) धारा ३३९-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द ''कालोनी'' के स्थान पर, शब्द ''कालोनी या कालोनियां'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(४) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत क्षेत्र में एक या एक से अधिक कालोनियां स्थापित करने का पात्र होगा और उसे पृथक् से प्रत्येक कालोनी के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं होगा किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक कालोनी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अभिन्यास (ले-आउट) योजना का अनुमोदन तथा अन्य समस्त अनुमोदन पृथकत: अभिप्राप्त करे.''.

(५) धारा ३३९-ख में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (तीन) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१-क) उपधारा (१) के अधीन विकसित भू-खण्डों और आवासीय मकानों को आरक्षित करने के अतिरिक्त, कालोनाइजर अपनी आवासीय कालोनी में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए कम से कम दस प्रतिशत विहित आकार के पूर्ण विकसित भू-खण्ड भी आरक्षित रखेगा या संनिर्मित आवासीय मकान देने का वैकल्पिक प्रस्ताव करेगा.'';

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'' के पश्चात्, शब्द ''और निम्न आय वर्ग'' स्थापित किए जाएं;

(६) धारा ३३९-ग में,—

(एक) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) जो कोई अवैध व्यपवर्तन का या अवैध कालोनी निर्माण का कोई अपराध करेगा या उसके किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात

वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा और ऐसे किसी अपराध के संबंध में निर्णय पारित करने में न्यायालय, अभियुक्त को, परिषद् को प्रतिकर की ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह ऐसी अवैध कालोनी के विकास के लिए उपगत होने वाली अपेक्षित राशि पर विचार कर लेने के पश्चात् निर्णय में विनिर्दिष्ट करे, और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा.'';

(दो) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(५) जो कोई अवैध संनिर्माण का अपराध करेगा वह, कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा.

(६) प्रत्येक कालोनाइजर को संनिर्माण हेतु प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के क्षेत्र के बारे में जिसमें कुर्सी क्षेत्र (कारपेट एरिया) सम्मिलित है तथा पर्चों, विवरणिकाओं, होर्डिंगों के रूप में प्रकाशित अपने समस्त विज्ञापनों में कालोनी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा ग्राहकों को दी जाने वाली समस्त संसूचनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक होगा तथा इसके ऊपर वह उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के क्रमांक तथा दिनांक का सुव्यक्त रूप से उल्लेख करेगा तथा इन उपबंधों का कोई अतिक्रण ऐसे कालोनाइजरों को उपधारा (३) तथा उपधारा (५) के अधीन दण्ड का भागी बनाएगा.''.

(७) धारा ३३९-घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''३३९-घ क. समस्त निदेशक, संप्रवर्तक तथा वित्तपोषक (फाइनेन्सर), जो अवैध कालोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में ऐसे व्यक्ति के साथ सहयुक्त हैं, जो ऐसे अवैध कालोनी निर्माण या अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, ऐसे अपराध को कारित करने के लिए समान रूप से दायित्वाधीन होंगे तथा धारा ३३९-ग के उपबंधों के अधीन दण्डित किए जाएंगे.''.

अवैध कालोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में सहयुक्त व्यक्तियों के उत्तरदायित्व.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में कतिपय संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(१) नगर निगम तथा नगरपालिकाएं नागरिकों को बहुत सी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं जिनके लिए अधिरोपित प्रभारों का, ऐसी सेवाओं के संचालन और संधारण पर उपगत होने वाले व्यय के आधार पर, अवधारण किया जाना अपेक्षित है. अत: ऐसे उपभोक्ता प्रभारों को पृथक् से परिभाषित तथा उपबन्धित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है. अतएव, उपभोक्ता प्रभारों को अधिरोपित करने के लिए दोनों अधिनियमों में पृथक्-पृथक् धाराएं प्रस्तावित की जा रही हैं.

(२) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ में कालोनाइजेशन के बारे में प्रक्रिया उपबंधित हैं. अतएव, दोनों अधिनियमों में शब्द ''कालोनी'' तथा ''कालोनाइजर'' को परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है. ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' तथा ''निम्न आय वर्ग'' की परिभाषाएं भी अधिनियम में सम्मिलित की जा रही हैं.

(३) नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा २९२-ख और नगरपालिका अधिनियम की धारा ३३९-ख में कालोनाइजर से उसकी कालोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विकसित भू-खण्डों या संनिर्मित घरों को आरक्षित रखने के बदले में आश्रय शुल्क जमा कराने का उपबन्ध है. आम कालोनाइजर इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा भूमि की उपलब्धता

को ध्यान में लाए बिना एक ही तरह से इस विकल्प का चयन कर रहे हैं. अत: इस आदत को हतोत्साहित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि उक्त उपबंध को अलग कर दिया जाए.

(४) राज्य की आवास एवं रहवास नीति सभी रहवासी कालोनियों में निम्न आय वर्ग के लिए भू-खण्डों को सुरक्षित रखने का उपबंध करती है. केन्द्र प्रायोजित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के दिशा निर्देश भी राज्य सरकार से इन सुधारों को प्रारंभ करने की अपेक्षा करते हैं. अत: दोनों अधिनियमों में आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किए जा रहे हैं.

(५) अधिनियमों में अवैध कालोनाइजेशन के विषय में दाण्डिक उपबंध होने के बावजूद नगरीय क्षेत्रों में अवैध कालोनियों में वृहत् पैमाने पर बढ़ोतरी हो रही है. अतएव अवैध कालोनाइजेशन को हतोत्साहित करने की दृष्टि से दाण्डिक उपबंधों को और कठोर बनाया जाना प्रस्तावित है. ऐसी अवैध कालोनियों में विकास पर होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु नगरपालिक निगम और नगरपालिकाओं के पक्ष में प्रतिकर देने हेतु, न्यायालयों के लिए सामर्थ्यकारी उपबंध किया जाना भी प्रस्तावित है.

(६) यह देखने में आया है कि कालोनाइजर नागरिकों को कालोनी में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में ऐसे प्रलाभी प्रस्ताव देते हैं जिनकी कि कभी पूर्ति नहीं होती है, इसलिए, कालोनाइजरों को ऐसे काल्पनिक प्रस्ताव देने से रोकने के लिए अधिनियमों में आवश्यक उपलबंध प्रस्तावित किए जा रहे हैं.

(७) सामर्थ्यकारी उपबंध न होने से सामान्यत: अवैध कालोनियों के विकास में कालोनाइजर के साथ सहयुक्त व्यक्ति दण्डित नहीं हो पाते हैं. इन व्यक्तियों को विधि के क्षेत्र के भीतर लाने के लिए अधिनियमों में आवश्यक उपबंध प्रस्तावित हैं.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
दिनांक २१ मार्च, २०१०.

बाबूलाल गौर
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१० के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रहीं हैं उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-२ उपखण्ड (३)—निगम द्वारा किये जाने वाले जल प्रदाय के प्रभार, जल निकास एवं मलवहन प्रभार, ठोस अपशिष्ट के प्रबंध हेतु प्रभार एवं निगम द्वारा प्रदान की गई अन्य विशिष्ट सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित किये जाने,

उपखण्ड (३) (३)—सम्पत्तियों पर अधिरोपित कर की दर से अधिक दर अधिरोपित किये जाने,

उपखण्ड (५) (दो)—आवासीय कालोनियों में निम्न आर्य वर्ग के व्यक्तियों के लिये पूर्ण विकसित भू-खण्ड आरक्षित किये जाने,

खण्ड-३ उपखण्ड (३)-परिषद् द्वारा किये जाने वाले जल प्रदाय के प्रभार, जल निकास एवं मलवहन प्रभार, ठोस अपशिष्ट के प्रबंध हेतु प्रभार एवं परिषद् द्वारा प्रदान की गई अन्य विशिष्ट सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित किये जाने,

उपखण्ड (३) (३)—सम्पत्तियों पर अधिरोपित कर की दर से अधिक दर अधिरोपित किये जाने,

उपखण्ड (५) (दो)—आवासीय कालोनियों में निम्न आर्य वर्ग के व्यक्तियों के लिये पूर्ण विकसित भू-खण्ड आरक्षित किये जाने.

के सम्बन्ध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.